माननीय ए. पी. चौधरी जे. के समक्ष

समिती खन्ना,-याचिकाकर्ता, *बनाम*
अरुण खन्ना,-उत्तरदाता।

1991 के आदेश संख्या 14-एम* से *पहली अपील

9 अप्रैल, 1992।

1955 का हिंदू विवाह अधिनियम- *धारा 13* और 13बी-जिला न्यायाधीश *के समक्ष पारस्परिक सहमति से तलाक के लिए आवेदन-दर्ज किए गए पक्षों के बयान- धारा 13 बी के तहत* धमकी *के तहत प्राप्त याचिका पर हस्ताक्षर का दावा करने वाली पत्नी की याचिका वापस लेना-उक्त याचिका खारिज कर दी गई-पति क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक के लिए दायर करना-आपसी सहमति के लिए याचिका वापस लेना-तलाक की कार्यवाही पर प्रभाव कहा गया-जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए तलाक की डिक्री असाधारण है-यौन संबंध से इनकार करना क्रूरता के बराबर-साक्ष्य का अभाव में, पत्नी* द्वारा *धोखाधड़ी, जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बेतुके और लापरवाह आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है-क्रूरता के निष्कर्षों को बरकरार रखा गया-हालाँकि, परित्याग पर निष्कर्षों को उलट दिया गया- तलाक की डिक्री बरकरार रखा गया।*

अभिनिर्धारित किया गया कि यह तर्क दिया गया था कि *धारा* 13-बी के तहत याचिका को वापस लेने से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकल सकता है क्योंकि अधिनियम स्वयं प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान करता है और यह याचिका को वापस लेने के लिए दोनों पक्षों या किसी एक के लिए खुला है। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। विद्वत ट्रायल न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विधिवत विचार किया है और स्वतंत्र कारणों के साथ मुद्दे संख्या 1 और 2 पर निष्कर्षों का समर्थन किया है।अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम की *धारा* 13-बी के तहत आवेदन में किए गए कुछ भौतिक स्वीकारों को निष्कर्षों को आवश्यक पुष्टि देने के लिए लिया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर पहुंचा गया है।

(पैरा 8)

अभिनिर्धारित किया कि एक सामान्य और स्वस्थ यौन संबंध एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण विवाह के बुनियादी तत्वों में से एक है। जब एक पति/पत्नी इसके लिए चिंतित हो तो पति-पत्नी द्वारा यौन संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता के समान होगा, खासकर जब दोनों पक्ष युवा हों।

(पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया कि, अपीलकर्ता के लिए यह खुला था कि वह अपना मन बदल ले और पहले की गई *धारा* 13-बी के तहत आवेदन वापस ले ले। याचिका वापस लेने के बजाय, उसने प्रतिवादी-पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बेतुके और लापरवाह आरोप लगाए। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की *धारा* 125 के तहत याचिका में इसी तरह के आरोप लगाए। हालाँकि, इन गंभीर आरोपों को साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। (पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया कि विद्वत ट्रायल न्यायालय अधिनियम की *धारा* 13-बी के तहत संयुक्त याचिका में दोनों पक्षों के अलग-अलग स्थगन के संबंध में स्वीकारोक्ति को अनुचित महत्व देते हुए एक त्रुटि में पड़ गया। एक बार जब पक्षों ने अपने सामान्य संबंधों की मदद से सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया कि पक्षों को संप्रदाय 13-बी के तहत एक आवेदन करके अलग कर देना चाहिए, तो बाकी केवल एक कानूनी औपचारिकता थी। (पैरा 17)

श्री पी. एल. गोयल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश करनाल के न्यायालय की 8 जनवरी, 1991 की डिक्री से पहली अपील जिसमें न्यायाधीश ने पत्नी-प्रत्यर्थी के खिलाफ पति-याचिकाकर्ता की याचिका को त्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश पारित करके और पक्षों के बीच विवाह को भंग करने की अनुमति दी।

दावाः हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित धारा 13 के तहत याचिका

अपील में दावाः निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक सूरी के साथ *वरिष्ठ अधिवक्ता एल. एम. सूरी।*

प्रतिवादी की ओर से एस. एस. नरूला, अधिवक्ता के साथ *आर. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता*

निर्णय

ए. पी. चौधरी जे.

(1) यह अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के दिनांक 8 जनवरी, 1991 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन प्रत्यर्थी की याचिका को अनुमति दी गई है (जिसे इसके पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

(2) प्रतिवादी अरुण खन्ना ने 13 फरवरी, 1974 को समिति खन्ना अपीलकर्ता से शादी की।शादी के एक साल के भीतर 21 दिसंबर, 1974 को अमर नाम के एक लड़के का जन्म हुआ।'अरुण खन्ना' ने अपने पिता विश्वनाथ खन्ना को तब खो दिया जब वह केवल 6 साल के थे। विश्वनाथ खन्ना अपनी पत्नी श्रीमती राज खन्ना और दो बच्चे अरुण और एक बेटी सुषमा अपने भाई प्राण नाथ खन्ना और उनकी पत्नी शकुंतला खन्ना के साथ संयुक्त रूप से रह रहे थे।दोनों भाई विश्वनाथ खन्ना और प्राण नाथ खन्ना समान शेयरों में संयुक्त रूप से व्यवसाय करते थे।विश्वनाथ खन्ना की मृत्यु के बाद उनकी विधवा श्रीमती राज खन्ना और उनके दो बच्चे प्राण नाथ खन्ना और उनकी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से रहते रहे।अरून खन्ना की शादी के समय वे प्राण नाथ खन्ना और उनकी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से रह रहे थे, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है।समिति की बड़ी बहन शशि का विवाह श्रीमती शकुंतला खन्ना के भतीजे जगदीश खुल्लर से हुआ है। दूसरे शब्दों में, श्री प्राण नाथ *खन्ना* की पत्नी शकुंतला खन्ना समिति की बड़ी बहन के पति की भुआ हैं। इसमें प्रतिवादी ने त्याग और क्रूरता के आधार पर विवाह को भंग करने की मांग की। उनका मामला यह था कि शादी के कुछ वर्षों के बाद समिति ने उन्हें अपनी मां श्रीमती राज खन्ना, चाचा प्राण नाथ खन्ना और चाची श्रीमती शकुंतला खन्ना से अलग होने के लिए से अलग होने के लिए मनाना शुरू कर दिया। यह अरुण खन्ना को स्वीकार्य नहीं था, लेकिन समिति ने कारण देखने से इनकार कर दिया और अपनी मांग पर दबाव डालने के लिए पहले प्रतिवादी-पति और उसके करीबी संबंधों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया और फिर उनके उपरोक्त संबंधों का अपमान किया। जब उसने इस तरह के आचरण का विरोध किया, तो उसने अशिष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने उससे यौन संबंध बनाने से भी इनकार कर दिया। इस आचरण ने उन्हें और उनके कथित रिश्तेदारों को गहरी मानसिक यातना दी। 1986 के मध्य में, उन्होंने उद्दंड रवैया अपनाना शुरू कर दिया और उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को अपमानित करने के सभी संभावित अवसरों का फायदा उठाया। नवंबर 1986 में उन्होंने यह कहते हुए वैवाहिक घर छोड़ दिया कि वह तब तक नहीं लौटेंगी जब तक कि प्रतिवादी पति अपना स्वतंत्र घर स्थापित नहीं कर लेते। सामान्य मित्रों और संबंधों के द्वारा सुलह के प्रयास जारी रहे। अंततः यह निर्णय लिया गया कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आवेदन करके विवाह को भंग कर दिया जाए। उपरोक्त निर्णय

के अनुसरण में, समिति खन्ना, अपीलार्थी-पत्नी अपनी बड़ी बहन शशि और उनके पति जगदीश खुल्लर के अलावा कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ 17 मार्च, 1988 को करनाल आई। अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक संयुक्त याचिका प्रदर्शनी पी-1 का मसौदा तैयार किया गया था जिसमें पक्षों के बीच तय की गई शर्तों को शामिल किया गया था।समझौते के अनुसार, समिति खन्ना को कपड़े, फ्रिज, सिलाई मशीन, बर्तन, चांदी, फर्नीचर, बिस्तर आदि सहित व्यक्तिगत वस्तुओं के अलावा अपने सभी आभूषणों को ले जाने का अधिकार था। पार्टियों के पास भारतीय स्टेट बैंक, मॉडल टाउन शाखा, करनाल में एक लॉकर था, जिसे पति और पत्नी संयुक्त रूप से साथ ही अलग-अलग संचालित कर सकते थे।

श्रीमती समिति खन्ना ने 17 मार्च, 1988 को बैंक लॉकर खोला और उनके सभी गहने आदि ले गए। उनके व्यक्तिगत प्रभावों को एक गति में लोड किया गया और समिति के माता-पिता के घर भेज दिया गया।इसके बाद पक्षों ने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत जिला न्यायाधीश, करनाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिला न्यायाधीश द्वारा उनका बयान दर्ज किया गया और वैधानिक रूप से आवश्यक होने पर मामले को छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। समिति खन्ना उसी दिन अपनी बहन, बहू और अन्य रिश्तेदारों के साथ कार से लुधियाना के लिए रवाना हो गईं। प्रतिवादी-पति का अगला मामला यह है कि अक्टूबर 1988 में ऐसा लगता है कि समिति खन्ना ने अपने समझौते पर वापस जाने का मन बना लिया ।तदनुसार उन्होंने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत याचिका को वापस लेते हुए 11 अक्टूबर, 1988 को एक आवेदन प्रदर्शनी पी-4 दायर किया, जो जिला न्यायाधीश, करनाल के समक्ष लंबित था। उन्होंने 18 अक्टूबर, 1988 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना के समक्ष समान प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए एक और आवेदन भी दायर किया। जिला न्यायाधीश, करनाल के समक्ष किए गए आवेदन में कहा गया था कि वह अपने पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकार हुई थी और वास्तव में, याचिका पर उसके हस्ताक्षर इस धमकी के तहत प्राप्त किए गए थे कि अगर वह याचिका पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो उसकी और उसके नाबालिग बेटे की जान को खतरा होगा।उन्होंने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत उक्त पिछली याचिका में किए गए तथ्य के विभिन्न स्वीकारों को वापस लेने की भी मांग की। उक्त आवेदन के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 13-

बी के तहत याचिका को विद्वान जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।

(3) श्रीमती समिति खन्ना द्वारा दायर लिखित बयान में दोनों आधारों को अस्वीकार कर दिया गया।यह कहा गया था कि वास्तव में, प्राण नाथ खन्ना बहुत प्रभावशाली स्वभाव के व्यक्ति थे। परिवार की सभी संपत्तियों और व्यवसाय पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने अरुण खन्ना को बड़ा नहीं होने दिया था और उनके द्वारा अरुण के साथ हमेशा कठपुतली जैसा व्यवहार किया जाता था।अरुण की माँ यानी समिति खन्ना की सास विनम्र और आज्ञाकारी स्वभाव की महिला थीं और इन परिस्थितियों में समिति ने अपने पति-अरुण को आत्मविश्वास हासिल करने और अपने स्वयं के स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करने की सलाह दी।इसमें आगे कहा गया है।लिखित बयान में कहा गया है कि प्राण नाथ खन्ना और उनकी पत्नी ने अरुण खन्ना और उनकी मां की संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। श्रीमती शकुंतला खन्ना और प्राण नाथ खन्ना के व्यक्तिगत नाम पर कई संपत्तियों का हस्तांतरण किया गया। श्रीमती शकुंतला खन्ना ने परिवार के सिनेमा व्यवसाय पर नियंत्रण कर लिया और अरुण के परिवार को उचित हिस्सा दिए बिना अपनी आय का उपयोग खुद किया। जब उन्होंने विरोध किया और प्राण नाथ खन्ना और श्रीमती शकुंतला खन्ना से पूछा परिवार की संपत्ति और व्यवसाय में अवैध कार्य करने से बचने के लिए और और अपने अवैध मंसूबों को छोड़ देंगी, प्राण नाथ खन्ना और उनकी पत्नी ने अरुण को उकसाया और उनके प्रभाव में काम करते हुए, अरुण ने घोषणा करना शुरू कर दिया कि वह अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेगा और फिर से शादी करेगा।कभी-कभी वह समिति खन्ना को पीटने तक चला जाता था और उसे अपने माता-पिता के घर जाने के लिए मजबूर कर देता था।

(4) 17 मार्च, 1988 से संबंधित कथनों के संबंध में समिति खन्ना ने कहा कि उनके पति, उनके चाचा और चाची ने उन्हें धमकी दी और उनसे कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए।अगले दिन यानी 18 मार्च, 1988 को, उन्हें अपने नाबालिग बेटे के साथ अपने दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं के साथ वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिला न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किए गए उसके बयान के संबंध में, यह कहा गया था कि उसे और उसके बेटे को धमकी, चोट के तहत किसी भी कार्यवाही के बारे में कुछ भी सूचित किए बिना कुछ अदालतों में ले जाया गया था। उन्होंने 17 मार्च, 1988 को बैंक लॉकर चलाने

या अपने गहने या अन्य सामान हटाने से इनकार किया।

(5) प्रतिकृति में, अन्य बातों के अलावा, यह कहा गया था कि विश्वनाथ खन्ना और प्राण नाथ खन्ना संयुक्त रूप से सिनेमा व्यवसाय चला रहे थे। विश्वनाथ खन्ना की मृत्यु के बाद प्राण नाथ खन्ना ने श्रीमती राज खन्ना को एक भागीदार बनाया और जब अरुण ने अपनी शिक्षा पूरी की तो वह भी उक्त साझेदारी में शामिल हो गए । संयुक्त हिंदू परिवार की किसी भी संपत्ति को विशेष रूप से श्रीमती के नाम पर हड़पने का आरोप। शकुंतला खन्ना को मना कर दिया गया. प्रतिकृति अन्य बातों *के साथ*-साथ बातों के साथ, यह कहा गया था कि विश्वनाथ खन्ना और प्राण नाथ खन्ना संयुक्त रूप से सिनेमा व्यवसाय चला रहे थे।विश्वनाथ खन्ना की मृत्यु के बाद, प्राण नाथ खन्ना ने श्रीमती बनाई। राज खन्ना एक भागीदार के रूप में और जब अरुण ने अपनी शिक्षा पूरी की तो वह भी उक्त साझेदारी में शामिल हो गए।संयुक्त हिंदू परिवार की किसी भी संपत्ति को विशेष रूप से श्रीमती के नाम पर हड़पने का आरोप। शकुंतला खन्ना को मना कर दिया गया।

निचली अदालत ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः—

1. क्या प्रतिवादी ने इस याचिका को दाखिल करने से ठीक पहले 2 साल से अधिक की लगातार अवधि के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है और इस आधार पर याचिकाकर्ता तलाक के आदेश का हकदार है? ओपीपी.
2. क्या प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जो उसे तलाक की डिक्री का हकदार बनाती है? ओपीपी।
3. क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत पहले स्थापित संयुक्त याचिका याचिकाकर्ता की ओर से धोखाधड़ी का परिणाम थी? ओपीआर.
4. राहत ।

(6) साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने माना कि पत्नी ने नवंबर 1986 से प्रतिवादी-पति को छोड़ दिया था। अधिनियम की धारा 13 (1) (i-b) के विभिन्न घटकों को संतुष्ट किया गया था। माना गया था कि अधिनियम की धारा 13-B के तहत आवेदन स्वेच्छा से श्रीमती समिति खन्ना द्वारा किया गया था और बाद में इसे उनके द्वारा वापस ले लिया गया और यह कि कोई धोखाधड़ी

नहीं की गई थी

प्रत्यर्थी द्वारा उस पर-उस आवेदन को करने में और धारा 13-बी के तहत आवेदन को वापस लेने की मांग करने वाले आवेदन में इस ओर से किए गए दावे या वर्तमान में लिखित बयान गलत थे।क्रूरता का आधार भी साबित हुआ।तदनुसार, याचिका को दोनों आधारों पर अनुमति दी गई।फरमान से व्यथित पत्नी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

(7) मैंने अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल. एम. सूरी और प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. चीमा को सुना है और उनके साथ अभिलेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

(8) पहले मुद्दा संख्या 3 से निपटना सुविधाजनक होगा जिसका मुद्दा संख्या 1 और 2 पर असर पड़ता है।इस मुद्दे पर निचली अदालत के निष्कर्ष पर श्री सूरी ने गंभीर रूप से विवाद नहीं किया है, लेकिन उनका तर्क है कि निचली अदालत ने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आवेदन करने के संबंध में घटना को सभी अनुपातों से बाहर कर दिया था और काफी हद तक उस आधार पर अपनी राय आधारित की थी।श्री सूरी के अनुसार, मामल यह था कि एक स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि आपसी तलाक के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन दूसरे विचार पर पत्नी ने याचिका वापस ले ली।यह तर्क दिया गया था कि याचिका को वापस लेने से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकल सकता है क्योंकि अधिनियम स्वयं प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान करता है और यह याचिका को वापस लेने के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक के लिए खुला है। मैं श्री सूरी के तर्क को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हूँ।विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विधिवत विचार किया है और स्वतंत्र कारणों के साथ मुद्दे संख्या 1 और 2 पर निष्कर्षों का समर्थन किया है।अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आवेदन में किए गए कुछ भौतिक स्वीकारों को निष्कर्षों को आवश्यक पुष्टि देने के लिए लिया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर पहुंचा गया है।

(9) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवेदन प्रदर्शनी पी-1 अपीलकर्ता द्वारा अपने पति के साथ स्वेच्छा से किया गया था और उसे किसी भी तरह की धमकी देने या धोखाधड़ी

करने का कोई सवाल ही नहीं था।इस निष्कर्ष के कारणों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता हैः

(10) अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आवेदन प्रदर्शनी पी-4 वापस लेने वाले आवेदन में, कई आधार जैसे अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, अपीलकर्ता के व्यक्ति और उसके बेटे को चोट पहुँचाने की धमकी, सहायक तथ्यों और विवरणों का उल्लेख किए बिना दिए गए थे।अपीलकर्ता धारा 13-बी के तहत याचिका पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं करती है और साथ ही अदालत जाती है। अपीलकर्ता एक स्नातक है और एक संपन्न परिवार से है। अपीलकर्ता का बयान प्रदर्शनी पी-2 स्वयं जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया था। बयान को अपीलकर्ता को पढ़कर सुनाया गया और उसने अदालत में बयान पर अपने हस्ताक्षर किए।अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आवेदन करने से संबंधित भौतिक तथ्यों का समर्थन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश (पीडब्लू-3) श्री न्यायमूर्ति टी. आर. हांडा ने किया है।श्री हांडा का दोनों पक्षों से संबंध था।उन्होंने रुचि ली और पक्षों के बीच सुलह लाने में सक्रिय भूमिका निभाई।वे 17 मार्च, 1988 को व्यक्तिगत रूप से करनाल में मौजूद थे और उन्होंने बिना किसी अनिश्चितता के बयान दिया कि आवेदन को पक्षों की उपस्थिति में अंतिम रूप दिया गया था और इसे पढ़ा गया और पक्षों को समझाया गया।उन्होंने आगे कहा कि आवेदन पर अपीलकर्ता द्वारा उनकी उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से हस्ताक्षर किए गए थे।उपरोक्त घटना इस तथ्य से समर्थित है कि दहेज की वस्तुओं को एक गति में लादा गया था और अपीलकर्ता के मूल घर भेजा गया था।यह तथ्य श्री टी. आर. हांडा (पीडब्लू-3), अरुण खन्ना प्रतिवादी (पीडब्लू-4), अजीत सिंह (पीडब्लू-5), टेंपो की मालिक-सह-चालक, श्रीमती. राज खन्ना (पीडब्लू-6), प्रतिवादी की माँ, और किशन लाल (पीडब्लू-7) जो टेम्पो के साथ लुधियाना गए।धोखाधड़ी या जबरदस्ती का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि कार्यवाही अपीलार्थी की बड़ी बहन और उसके बहनोई इसके अलावा न्यायाधीश टी. आर. हांडा (सेवानिवृत्त) की उपस्थिति में हुई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने उस दिन लॉकर का संचालन किया जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक श्री दीवान सिंह (पीडब्लू-1) ने बयान दिया था।श्री टी. आर. हांडा (पीडब्लू-3) ने यह तथ्य भी उजागर किया है

कि अपीलकर्ता उसके सभी आभूषण ले गया था।

(11) पूर्वगामी कारणों से, यह स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ता ने अपनी स्वतंत्र सहमति से अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आवेदन किया था और उक्त आवेदन पर उसकी सहमति या हस्ताक्षर प्राप्त करने में उस पर किसी धोखाधड़ी का कोई सवाल ही नहीं था। इस प्रकार इस मुद्दे पर निचली अदालत के निष्कर्ष की पुष्टि करने में कोई कठिनाई नहीं है।

अब मैं मुद्दा संख्या 2 से निपट सकता हूँ।याचिका में दी गई क्रूरता के संबंध में आरोपों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः—

(I) अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी-पति को अपनी माँ, चाचा और चाची से अलग रहने के लिए उकसाना शुरू कर दिया और जब प्रत्यर्थी-पति सहमत नहीं हुए तो उन्होंने अशिष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(II) उसने प्रतिवादी-पति और उसकी मां, चाचा और चाची के प्रति अपनी अशिष्टता और अपमानजनक रवैया दिखाया आने वाले मित्रों और रिश्तेदारों की उपस्थिति, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी-पति और उसके कथित संबंधों को गंभीर मानसिक यातना हुई।

(III) उसने प्रतिवादी पति के साथ सामान्य यौन संबंधों से इनकार कर दिया।

(IV) उसने उक्त याचिका को वापस लेने के लिए आवेदन में अधिनियम की धारा 13-बी के तहत याचिका के संबंध में प्रतिवादी-पति, उसके चाचा और चाची के खिलाफ कथित जबरदस्ती, धोखाधड़ी आदि के संबंध में झूठे और तुच्छ आरोप लगाए। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आवेदन में भी।

(12) श्री एल. एम. सूरी ने तीन तर्क उठाए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिका में लगाए गए आरोप अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) के अर्थ के भीतर क्रूरता को नहीं जोड़ते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिका के पैराग्राफ

4 में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और विशिष्ट घटनाओं की तारीखों और विवरणों की अनुपस्थिति में में कथित क्रूरता का कोई मामला साबित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ईमानदारी से मानता है कि यह उसके पति और उनके एकमात्र बच्चे के हित में है कि उन्हें अलग रहना चाहिए और अगर वह पति और उसके परिवार यानी अपीलकर्ता और उनके बेटे के हित में उस विचार को व्यक्त करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

(13) श्री आर. एस. चीमा का तर्क है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अधिक विवरण नहीं दिया जा सका है।आरोप अपीलकर्ता के रवैये और व्यवहार से संबंधित है।उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक विवरणों के संबंध में लिखित बयान में अपीलकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई थी जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता पूरी तरह से समझ गया था कि उसके खिलाफ क्या आरोप लगाया जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि न केवल यह कि अधिक से अधिक विवरणों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गई, अपीलकर्ता वैवाहिक गृह में हुई घटनाओं के अपने संस्करण के साथ आगे आई। विद्वान वकील ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि यौन संबंध से इनकार करना ही मानसिक क्रूरता को बढ़ावा देने के बराबर है। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि एक निश्चित दृष्टिकोण रखना एक बात है, लेकिन पति और उसके करीबी संबंधों के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाना, जिन्हें वह उच्च सम्मान में रखते थे, गहरी पीड़ा और मानसिक यातना का कारण बनना तय है।विद्वान वकील ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि वर्तमान मामले के तथ्यों में स्वीकार की गई स्थिति यह है कि अपीलकर्ता की शादी के समय, प्रतिवादी-पति अपने चाचा और चाची के साथ एक संयुक्त परिवार में रह रहा था।उनके चाचा और चाची को स्पष्ट रूप से प्रतिवादी-पति द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता था क्योंकि वे अरुण खन्ना और उनकी बहन सुषमा की परवरिश उन्होंने अपने बच्चों की तरह की थी।वह स्वयं निस्संतान थे और यह तथ्य कि उनकी विधवा साली श्रीमती। राज खन्ना ने प्राण नाथ खन्ना और उनकी पत्नी के साथ रहना जारी रखा ने दिखाया कि वे कितना करीबी परिवार थे। इस परिदृश्य के खिलाफ ही अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए शत्रुतापूर्ण रवैये को देखा जाना था।

(14) अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) में आने वाली "क्रूरता" शब्द को

परिभाषित नहीं किया गया है। *शोभा रानी बनाम मधुखर रेड्डी (1)* में, सर्वोच्च न्यायालय के अधिपतियों ने "क्रूरता" शब्द के अर्थ को निम्नलिखित शब्दों में समझाया हैः—

" .....इसका उपयोग मानव आचरण या मानव व्यवहार के संबंध में किया गया है। यह वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में या उनके संबंध में आचरण है। यह एक के आचरण की प्रक्रिया है जो दूसरे को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह शारीरिक है तो अदालत को इसे निर्धारित करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। यदि यह मानसिक है तो कठिनाई उत्पन्न करती है।सबसे पहले, क्रूर व्यवहार की प्रकृति के बारे में जांच शुरू होनी चाहिए।दूसरा, जीवनसाथी के मन में इस तरह के व्यवहार का प्रभाव।क्या यह उचित आशंका पैदा की गई है कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक होगा। अंततः, यह आचरण की प्रकृति और शिकायत करने वाले पति या पत्नी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालने का विषय है। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ शिकायत किया गया आचरण काफी खराब है और अपने आप में गैरकानूनी या अवैध है। फिर दूसरे पति या पत्नी पर पड़ने वाले प्रभाव या हानिकारक प्रभाव की जांच या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, क्रूरता स्थापित की जाएगी यदि आचरण स्वयं साबित हो जाता है या स्वीकार किया जाता है।"

यह आगे देखा गयाः—

> "यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि हमारे आसपास के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।विशेष रूप से वैवाहिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में, हम एक बड़ा बदलाव पाते हैं।वे घर-घर या व्यक्ति-व्यक्ति में अलग-अलग स्तर के होते हैं।इसलिए, जब कोई पति या पत्नी साथी द्वारा यौन संबंध या संबंधों में क्रूरता के व्यवहार के बारे में शिकायत करता है, तो न्यायालय को जीवन में मानक की तलाश नहीं करनी चाहिए।एक मामले में क्रूरता के रूप में कलंकित तथ्यों का एक समूह

(1) ए. आई. आर. 1988 एस. यू. 121.

हो सकता है कि किसी अन्य मामले में ऐसा न हो।कथित क्रूरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर कर सकती है कि पक्ष किस प्रकार के जीवन के आदी हैं या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है।यह उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर भी निर्भर हो सकता है जिन्हें वे महत्व देते हैं।इसलिए, हमें, न्यायाधीशों और वकीलों को, जीवन के बारे में अपनी धारणाओं को आयात नहीं करना चाहिए।हम उनके समानांतर नहीं जा सकते हैं।हमारे और दलों के बीच पीढ़ी का अंतर हो सकता है।बेहतर होगा कि हम अपने रीति-रिवाजों और शिष्टाचार को अलग रखें।यह भी बेहतर होगा कि हम पूर्व निर्णय कम निर्भर रहें।क्योंकि जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने *शेल्डन बनाम शेल्डन (1966) 2 ऑल ई. आर. 257 (259)* में कहा है, क्रूरता की श्रेणियां बंद नहीं हैं।" प्रत्येक मामला अलग-अलग हो सकता है। हम उन मनुष्यों के आचरण से निपटते हैं जो आम तौर पर समान नहीं होते हैं। मनुष्यों के बीच उस तरह के आचरण की कोई सीमा नहीं है जो क्रूरता का कारण बन सकता है। मानव व्यवहार, क्षमता या शिकायत किए गए आचरण को सहन करने में असमर्थता के आधार पर किसी भी मामले में नए प्रकार की क्रूरता सामने आ सकती है।यही क्रूरता का अद्भुत क्षेत्र है।"

इस पर और जोर दिया गयाः—

" वैवाहिक मामलों में न्यायालय पारिवारिक जीवन में आदर्शों से संबंधित नहीं है। न्यायालय को केवल संबंधित पति या पत्नी को समझना होगा क्योंकि प्रकृति ने उन्हें बनाया है, और उनकी विशेष शिकायत पर विचार करना होगा। जैसा कि लॉर्ड रीड ने *गोलिंस बनाम गोलिंस (1963) 2 ऑल ई. आर. 966 (972)* में देखाः

"वैवाहिक मामलों में हम वस्तुनिष्ठ मानकों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उचित पुरुष (या उचित महिला) के मानकों से नीचे आना वैवाहिक अपराध नहीं है।हम इस पुरुष या इस महिला के साथ

काम कर रहे हैं।"

7. चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि वे उस समय *थे) नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने में (1975) 3 एस सी आर 967 (978): (ए. आई. आर. 1975) एस सी1534 पी.1541* उन्होंने कहाः

"न्यायालय को एक आदर्श पति और एक आदर्श पत्नी (यह मानते हुए कि ऐसा कोई अस्तित्व में है) के साथ नहीं बल्कि उसके सामने विशेष पुरुष और महिला के साथ व्यवहार करना होता है।आदर्श दंपति या लगभग आदर्श व्यक्ति के पास शायद वैवाहिक अदालत में जाने का कोई अवसर नहीं होगा, क्योंकि भले ही वे अपने मतभेदों को दूर करने में समर्थ न हों, लेकिन उनका आदर्श दृष्टिकोण उन्हें आपसी दोषों और विफलताओं को नजरअंदाज करने या उन्हें दूर करने में मदद कर सकता है।"

(15) *डॉ. केशोराव कृष्णाजी लोंधे बनाम श्रीमती निशा लोंधे (2)* मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने धारा 13 (1) (i-a) की विधायी पृष्ठभूमि का पता लगाया और मामले की कानून और विशेष रूप से दास्ताने बनाम दास्ताने (3) में निर्धारित कानून की समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः—

" हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के तहत विचार की गई क्रूरता न तो खतरे के पुराने अंग्रेजी सिद्धांत को आकर्षित करती है और न ही पुरानी धारा 10 (1) (b) में सन्निहित वैधानिक सीमाओं को। विचार की गई क्रूरता इस प्रकार का आचरण है कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की यथोचित अपेक्षा नहीं की जा सकती है।"....."

पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने *अश्विनी कुमार सहगल बनाम श्रीमती स्वतंत्र सहगल(3)* को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया, और वैवाहिक मामलों में क्रूरता का निर्धारण करने के लिए परीक्षण निकाला।इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में निर्धारित परीक्षण इस प्रकार हैः—

"ऐसे मामलों में क्रूरता उस प्रकार की होनी चाहिए जो अदालत की

अंतरात्मा को यह विश्वास दिलाने के लिए संतुष्ट करे कि पति-पत्नी में से किसी एक के आचरण के कारण पक्षों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए थे कि उनके लिए मानसिक पीड़ा, यातना या संकट के बिना एक साथ रहना असंभव हो गया है।"

उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, मुझे कोई संदेह नहीं है कि लगाए गए और रिकॉर्ड पर स्थापित आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर हैं।आरोपों को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वे सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के हैं।श्री चीमा ने ठीक ही कहा, प्रत्यर्थी-पति के विद्वान अधिवक्ता ने, कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि अधिक विवरण दिए गए थे।

(16) निचली अदालत द्वारा साक्ष्य की सराहना के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आलोचना नहीं की गई थी।साक्ष्य के सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद मैं पाता हूँ कि प्रत्यर्थी-पति, उसकी माँ और चाचा की गवाही स्पष्ट, ठोस है और अपीलकर्ता की गवाही के खिलाफ विश्वास को प्रेरित करती है। लगाए गए आरोप काफी हद तक सच होने चाहिए, यह इस तथ्य से पता चलता है कि करीबी रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बावजूद सुलह नहीं हो पाई और समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका आपसी सहमति से विवाह को समाप्त करना था।

(2) ए. टी. आर. 1984 बॉम्बे 413.
(3) ए. जे. आर. 1975 एस. सी. 1534.
(4) 1979 मैट एल. आर. 26 (पंजाब और हरियाणा)।

इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए थे कि इसे वैवाहिक जीवन के सामान्य पतन के रूप में नहीं लिया जा सकता था और विवाह को बचाना संभव नहीं था, न ही विवाह को जल्दबाजी में भंग करने का निर्णय लिया गया था।अरुण खन्ना (पीडब्लू-4) ने अपदस्थ किया कि जुलाई 1986 में अपीलकर्ता ने उन्हें अपने शयनकक्ष से बाहर निकाल दिया। उस दिन से नवंबर 1986 तक जब अपीलार्थी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया तो उसने उसे अपने साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी।अरुण खन्ना के इस कथन

की पुष्टि उनकी माँ श्रीमती राज खन्ना (पीडब्लू 6), उनके चाचा प्राण नाथ खन्ना (पीडब्लू-8) और उनके पारिवारिक चिकित्सक डॉ. ज्ञान भूषण (पीडब्लू-9) को अरुण ने अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। एक सामान्य और स्वस्थ यौन संबंध एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण विवाह के बुनियादी तत्वों में से एक है। जब दूसरा जीवनसाथी इसके लिए चिंतित हो तो जीवनसाथी द्वारा यौन संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता के बराबर होगा, खासकर जब पार्टियां युवा हों। (इस संबंध में *अनिल भारद्वाज बनाम निर्मलेश भारद्वाज* (4) *और शकुंतला बनाम ओम प्रकाश (5)* का *उल्लेख* किया *जा सकता* है। अधिनियम की धारा 13-बी के तहत याचिका पर वापस आते हुए, यह अपीलकर्ता के लिए आत्यन्तिक रूप से खुला था कि उसने अपना मन बनाया और पहले किए गए आवेदन को वापस ले लिया। याचिका वापस लेने के बजाय, उसने प्रतिवादी-पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बेतुके और लापरवाह आरोप लगाए। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत इसी तरह के आरोप लगाए। यह आगे देखा जाएगा कि वर्तमान मामले में लिखित बयान में उसने प्रतिवादी-पति और उसके करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप लगाए। लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे, अर्थात्, प्राण नाथ खन्ना और उनकी पत्नी ने अपीलकर्ता के सभी आभूषण और मूल्यवान वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया, जो शादी में उसके माता-पिता द्वारा उसे दिए गए थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी-पति और उसके कथित रिश्तेदारों ने उसे पीटा था। यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी-पति और उसके कथित रिश्तेदारों ने उसे पीटा था। उन्होंने आरडब्ल्यू-3 के रूप में अपने बयान में प्राण नाथ खन्ना और उनकी पत्नी को भी नहीं बख्शा, जहां उन्होंने कहा कि परिवार के पास रेलवे रोड पर कुछ भूखंड और नीलोखेड़ी में एक चावल मिल थी और उक्त संपत्तियों को बेच दिया गया था और जमा की गई राशि श्रीमती प्राण नाथ खन्ना के नाम पर एक सावधि जमा रसीद थी। हालाँकि, इन गंभीर आरोपों को साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। किसी भी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति में , यह नहीं कहा जा सकता है कि विश्वनाथ खन्ना और प्राण नाथ खन्ना के संयुक्त परिवार की नीलोखेड़ी में एक चावल मिल या कोई भूखंड

(4) ए. आई. आर. 1987 दिल्ली 111.

(5) ए. आई. आर. 1981 दिल्ली 53.

रेलवे रोड, करनाल पर, और यह कि इसकी बिक्री की आय श्रीमती प्राण नाथ खन्ना के नाम पर एक सावधि जमा रसीद के तहत जमा की गई थी।इन कारणों से, मुझे इस मुद्दे पर निचली अदालत के निष्कर्ष में कोई कमजोरी नहीं मिलती है।तदनुसार निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

(17) यह मुझे त्याग से संबंधित मुद्दा संख्या 1 पर विचार करने के लिए लाता है। प्रत्यर्थी-पति का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने नवंबर 1986 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था। विवाह विच्छेद के लिए वर्तमान याचिका अधिनियम द्वारा आवश्यक दो साल से अधिक समय के बाद 11 जनवरी, 1989 को दायर की गई थी। प्रतिवादी पति के अलावा, जो पीडब्लू-4 के रूप में पेश हुए, उनकी माँ श्रीमती राज खन्ना (पीडब्लू-6) और चाचा प्राण नाथ खन्ना (पीडब्लू-8) से पूछताछ की गई।अपीलकर्ता की ओर से, उसका बेटा अमर (आर. डब्ल्यू.-4), चचेरा भाई विजय कपूर (आर. डब्ल्यू.-5) और उसका असली भाई प्रमोद धीर (आर. डब्ल्यू.-6), अपीलकर्ता के अलावा उपस्थित हुए। विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की तुलना में प्रत्यर्थी-पति के मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता दी। ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत संयुक्त आवेदन में जो स्वीकार किया था, वह यह था कि पक्षकार नवंबर 1986 से अलग रह रहे थे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आवेदन के रूप में वही आवेदन आगे अपीलकर्ता के स्थायी रूप से सहवास को समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट इरादे को व्यक्त करने के लिए लिया गया था।लिखित बयान में, अपीलकर्ता ने दोहरा रुख अपनाया था। उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया और गंभीरता से विवाद किया कि उन्होंने नवंबर 1986 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था।उनका सकारात्मक मामला यह था कि वह मार्च 1988 तक वैवाहिक घर में रहीं।उसका आगे का मामला यह था कि वास्तव में प्रतिवादी-पति रचनात्मक परित्याग का दोषी था अर्थात उसे प्रतिवादी-पति के आचरण से अलग रहने या दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी याचिका के समर्थन में, अपीलकर्ता ने सेंट तारेसा कॉन्वेंट स्कूल, करनाल के क्लर्क, सुरजीत सिंह को सबूत के रूप में पेश किया(आर. डब्ल्यू.-2), जिन्होंने पदच्युत किया कि अमर खन्ना को मार्च 1988 में स्कूल से

वापस ले लिया गया था। दूसरे शब्दों में, अमर खन्ना ने मार्च 1988 तक करनाल के उक्त विद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमर अपने पिता और पिता के साथ-साथ अपनी माँ के रिश्तेदारों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वह अपनी माँ से अधिक जुड़ा हुआ है और यह असंभव है कि अमर ने करनाल में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जबकि अपीलकर्ता लुधियाना में अपने माता-पिता के घर चला गया। मतदाता सूची में प्रविष्टि के साथ बहुत अधिक प्रमाणिक मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता है और कहा जाता है कि अमर के जन्मदिन समारोह में ली गई 'बी' और 'सी' चिह्न वाली तस्वीरें दिसंबर 1987 में करनाल में मनाई गई थीं। मेरे विचार से, अधिनियम की धारा 13-बी के तहत संयुक्त याचिका में पक्षों के अलग-अलग रहने के संबंध में स्वीकारोक्ति को अनुचित महत्व देकर विद्वान ट्रायल कोर्ट एक त्रुटि में पड़ गया। एक बार जब पक्षों ने अपने सामान्य संबंधों की मदद से सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया कि पक्षों को धारा 13-बी के तहत आवेदन करके कंपनी से अलग होना चाहिए, तो बाकी केवल एक 'कानूनी औपचारिकता' थी। यह कथन कि पक्षकार एक वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे थे, इस प्रकार धारा 13-बी की आवश्यकताओं के अनुपालन में था। अधिनियम की धारा 13-बी के आवेदन को आकर्षित करने के लिए शर्तों में से एक यह है कि पक्षकार एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हैं। यह भी बताया जा सकता है कि श्री न्यायाधीश टी. आर. हांडा (पीडब्लू-3), जिन्होंने पक्षों के बीच सुलह करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, इस तथ्य के संबंध में पूरी तरह से चुप थे कि अपीलकर्ता ने नवंबर 1986 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था। इन सभी कारकों पर विचार करने पर, जहां तक त्याग के आधार का संबंध है, मैं विचारण न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हूं। इसलिए, मैं इस मुद्दे पर निचली अदालत के निष्कर्ष को उलट देता हूं और मानता हूं कि प्रतिवादी-पति त्याग का आधार साबित करने में विफल रहे।

नतीजतन, मुद्दा संख्या 2 के तहत निष्कर्ष को देखते हुए, अपील विफल हो जाती है और उसे खारिज कर दिया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम,हरियाणा